

प्रेस विज्ञप्ति

थाना-कन्धरापुर

दो अदद अवैध तमन्चा व कारतूस के साथ हत्या के प्रयास में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा वांछित, गैंगेस्टर, चोर, लुटेरे, नकबजन तथा ईनामिया अभियुक्तों की गिरफ्तारी विषयक अभियान के दृष्टिगत अपर पुलिस अधीक्षक नगर श्री पंकज पाण्डेय व क्षेत्राधिकारी नगर के कुशलत निर्देशन में दिनांक 26.10.2020 को कन्धरापुर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर द्वारा सूचना मिला कि दो अभियुक्त अवैध असलहा, कारतूस के साथ यू0पी0 50 रेस्टूरेन्ट के सामने ग्राम देवपार में मौजूद है। जो किसी अपराधिक घटना को कारित करने की फिराक में है। इस सूचना पर कन्धरापुर पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंच कर समय 21.35 बजे दोनो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। नाम पता पूछने पर उन्होंने अपना नाम क्रमशः सत्यम यादव व संदीप यादव पुत्रगण शम्भू यादव निवासी गण ग्राम परानपुर थाना निजामाबाद आजमगढ़ बताया। मौके पर तलाशी से अभियुक्त सत्यम यादव के कब्जे से एक अदद तमन्चा .315 बोर व दो अदद कारतूस जिन्दा .315 बोर तथा अभियुक्त संदीप यादव के कब्जे से एक अदद तमन्चा 12 बोर मय दो अदद कारतूस जिन्दा 12 बोर बरामद हुआ। जिसके सम्बन्ध थाना स्थानीय पर क्रमशः मु0अ0सं0 150/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट तथा मु0अ0सं0 151/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्तगण उपरोक्त का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तार अभियुक्तगण से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आया कि दोनो अभियुक्त सगे भाई हैं जो मु0अ0सं0 95/2020 धारा 307/147/148/149/323/504/506/427 भादवि थाना रानी की सराय, आजमगढ़ के मुकदमें में वांछित चल रहे हैं। इसलिए दोनो भाई लुक-छिपकर इधर उधर घुमते रहते हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त

1. संदीप यादव पुत्र शम्भू यादव निवासी परानपुर थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़।
2. सत्यम यादव पुत्र शम्भू यादव निवासी परानपुर थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़।

पंजीकृत अभियोग

1. मु0अ0सं0 150/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़।
2. मु0अ0सं0 151/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त सत्यम यादव

1. मु0अ0सं0 95/2020 धारा 307/147/148/149/323/504/506/427 भादवि थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़।
2. मु0अ0सं0 150/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त संदीप यादव

1. मु0अ0सं0 29/2019 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़।
2. मु0अ0सं0 95/2020 धारा 307/147/148/149/323/504/506/427 भादवि थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़।
3. मु0अ0सं0 151/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़।

बरामदगी

1. एक अदद तमन्चा .315 बोर व दो अदद कारतूस जिन्दा .315 बोर।
2. एक अदद तमन्चा 12 बोर मय दो अदद कारतूस जिन्दा 12 बोर

गिरफ्तार/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम

1. प्रभारी निरीक्षक दिनेश कुमार सिंह थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़।
2. उ0नि0 गिरीश कुमार थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़।
3. का0 श्यामजगी यादव थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़।
4. का0 भवानीदीन थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़।

थाना-फूलपुर

चोरी की एक ट्रैक्टर व ट्राली के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

श्री अशोक कुमार यादव S/O स्व0 श्री बाबू राम ग्रा0 अहिरीपुर पो0 जगदीशपुर थाना फूलपुर जि0 आजमगढ़ मो0नं0-9839780389 उपस्थित थाना आकर एक किता तहरीर हिन्दी लिखित खुद की सोनालिका ट्रैक्टर 744 रंग नीला जिसका व अदद ट्राली रंग हरा लाल जो मिट्टी कार्य हेतु JCB मालिक संजय यादव उर्फ मुनमुन साकिन सुदनीपुर पो व थाना फूलपुर के यहाँ चल रही थी, रात्रि लगभग दिनांक 19.9.2020 को रात्रि 1.30 बजे चालक ट्रैक्टर लाकर मुनमुन के रूम के बाहर खडा कर दिया और रोज की भांति घर चला जाने व सुबह लगभग 7 बजे प्रार्थी को ड्राइवर के द्वारा ट्रैक्टर ट्राली के न मिलने के सूचना देने तथा घटना में संजय यादव उर्फ मुनमुन साकिन सुदनीपुर पो व थाना फूलपुर आजमगढ़ पर संदेह होने के तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 252/20 धारा 379 भादवि थाना फूलपुर आजमगढ़ के पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ श्री सुधीर कुमार सिंह ने उक्त प्रकरण को संज्ञान लेते हुए प्र0नि0 थाना-फूलपुर को निर्देशित किया गया जिसके क्रम में आज दिनांक-27.10.2020 को प्रभारी निरीक्षक रत्नेश कुमार सिंह मय हमराह द्वारा आरोपी संजय यादव उर्फ मुनमुन उपरोक्त के ग्राम समसल्लीपुर आया जहा पर घनश्याम यादव उपरोक्त के दरवाजे पर ट्राली मौजूद मिली जिसे वादी मुकदमा ने देखते ही कहा कि साहब यही मेरी ट्राली है ,के सम्बन्ध मे घनश्याम यादव से पुछताछ किया गया तो बताया कि साहब यह ट्राली मुझे उदयभान यादव उर्फ हन्ने व बृजभान यादव पुत्रगण चन्देलाल निवासीगण ग्राम बहीरापार थाना पवई आजमगढ़ ने सत्तर हजार रुपये मे बेचा है मुझे यह नही पता था कि यह चोरी का है साहब मैं निर्दोष हूँ मैंने जानबुझकर चोरी का माल नही खरीदा है बल्कि अपनी जरूरत के कारण ट्राली सस्ता जानकर खरीदा लिया ट्राली को मौके पर ही समक्ष गवाहान कब्जा पुलिसमे लेकर फर्ड मौके पर तैयार कर सर्व सम्बन्धित के हस्ताक्षर बनवाये गये तत्पश्चात ट्राली के सुरक्षार्थ हे0का0गफफार खाँ को मौके पर ही मुकीम कर पुनः ट्रैक्टर बरामदगी हेतु तत्काल में प्र0नि0 मय शेष हमराही फोर्स व वादी मुकदमा अशोक यादव व वइस्ताह आरोपी संजय यादव उर्फ मुनमुन उपरोक्त को साथ लेकर रवाना होकर ग्राम जाफरपुर कथकान थाना पवई आजमगढ़ आया जहा पर चन्द्रभान के दरवाजे के पीछे छुपाकर ट्रैक्टर खडी थी जिसे वादी मुकदमा ने देखते ही बताया कि साहब कि यही मेरा ट्रैक्टर है जिसका इन्जन नं0 व चेसिस नम्बर मिलान कराया गया तो सही पाया गया के विषय मे चन्द्रभान को बुलाकर पुछताछ किया गया तो पहले इधर-उधर की बात करता रहा बाद मे कडाई से पुछताछ करने पर बताया कि साहब यह ट्रैक्टर तथा इसके साथ ट्राली मैं तथा उदयभान यादव उर्फ हन्ने व बृजभान यादव पुत्रगण चन्देलाल निवासीगण ग्राम बहीरापार थाना पवई आजमगढ़ के साथ मिलकर कस्बा फूलपुर चकनुरी से अबुशाद के दरवाजे से दिनांक 19.09.20 को मध्य रात्रि मे चुराया था चोरी के बाद ट्रैक्टर हमलोगो ने बेचने के लिए अपने घर पर छुपा लिया था तथा ट्राली को उदयभान यादव उर्फ हन्ने व बृजभान यादव पुत्रगण चन्देलाल निवासीगण ग्राम बहीरापार थाना पवई आजमगढ़ ने कही बेच दिया है तथा बताये थे कि ट्रैक्टर बेचने के बाद हमलोग आपस मे हिसाब कर लेंगे । इसप्रकार मुकदमा उपरोक्त मे अभियुक्त गण 1. चन्द्रभान पुत्र मोतीलाल ग्राम जाफरपुर कथकान थाना पवई आजमगढ़ 2. उदयभान यादव उर्फ हन्ने 3. बृजभान यादव पुत्रगण चन्देलाल निवासीगण ग्राम बहीरापार थाना पवई आजमगढ़ दौरान विवेचना प्रकाश मे आये है अभियुक्त चन्द्रभान उपरोक्त का यह कार्य अन्तर्गत धारा 379,411,413,414 भादवि का अपराध थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ के पंजीकृत किया गया था।

पुछताछ का विवरण- अभियुक्त ने बताया कि साहब यह ट्राली मुझे उदयभान यादव उर्फ हन्ने व बृजभान यादव पुत्रगण चन्देलाल निवासीगण ग्राम बहीरापार थाना पवई आजमगढ़ ने सत्तर हजार रुपये मे बेचा है मुझे यह नही पता था कि यह चोरी का है साहब मैं निर्दोष हूँ मैंने जानबुझकर चोरी का माल नही खरीदा है बल्कि अपनी जरूरत के कारण ट्राली सस्ता जानकर खरीदा लिया सम्बन्धित अभियोग- मु0अ0सं0 252/20 धारा 379 ,411,413,414 भादवि थाना फूलपुर, आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त- चन्द्रभान पुत्र मोतीलाल ग्राम जाफरपुर कथकान थाना पवई जनपद आजमगढ़

बरामदगी- एक अदद ट्राली व दो अदद ट्रैक्टर व ट्राली मय गिरफ्तार सुदा एक नफर अभियुक्त मुसम्मी चन्द्रभान पुत्र मोतीलाल ग्राम जाफरपुर कथकान थाना पवई जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली टीम-

- 1- प्र0नि0 रत्नेश कुमार सिंह, थाना-फूलपुर, आजमगढ़ ।
- 2- व0उ0नि0 सुशील कुमार दुबे थाना-फूलपुर, आजमगढ़ ।